NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Joint Gen. Secretary-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No :212 /NCRES/76/23

Date : 20.10.2023

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः— कुमारी साईमा, अवर लिपिक/कार्मिक/झांसी की पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापना करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :— AIIMS द्वारा जारी मेडिकल सर्टीफिकेट दिनांक 3.1.2022

महोदय,

अवगत कराना है कि RRB द्वारा कुमारी साईमा की नियुक्ति 75% दृष्टि बाधित अवस्था में VH कोटे के तहत दिनांक 28.3.2016 को अवर लिपिक के पद पर होने के बाद कु0 साईमा की पोस्टिंग झांसी के कार्मिक विभाग में की गई और वर्तमान में प्रवर लिपिक के पद पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद झांसी मण्डल द्वारा जारी प्रवर लिपिक के पैनल में कु0 साईमा का नाम है लेकिन पूर्व में टाइपिंग परीक्षा पास न कर पाने के कारण कुमारी साईमा की पोस्टिंग प्रवर लिपिक के पद पर नही की जा रही है।

NCRES का अनुरोध है कि निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाय।

कुमारी साईमा की नियुक्ति VH कोटे के तहत हुई थी और 75% दृष्टि बाधित होने के कारण नियुक्ति के समय टाइप टेस्ट में भाग नही लिया था, इसी कारण झांसी मण्डल ने कुमारी साईमा से दो वर्ष में टाइप टेस्ट पास करने हेतु कहा लेकिन नियुक्ति के लगभग एक वर्ष बाद ही रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या RBE 62/2017 दिनांक 28.6.2017 के पैरा 16 (C) के तहत दृष्टि बाधित कर्मचारियों को टाइप टेस्ट से छूट प्रदान कर दिया था।

खेद का विषय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा RBE 62/2017 जारी होने के बाद भी झांसी मण्डल द्वारा कु0 साईमा को टाइप टेस्ट के लिये बुलाया गया जब कि 75% दृष्टि बाधित कु0 साईमा टाइपिंग में असमर्थ थी, इसी असमर्थता के कारण कु0 साईमा टाइप टेस्ट में भाग नही ले पायी।

यह भी अवगत कराना बेहद महत्वपूर्ण है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 149/2022 के अनुसार 40% Dissability के साथ डाक्टर द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि "अभ्यर्थी विकलांगता के कारण टाइप करने में असमर्थ है" टाइपिंग से छूट दी जा सकती है।

कुमारी साइमा ने पुनः 2022 में AIIMS में जांच कराया जिस पर AIIMS ने कुमारी साइमा को 90% दृष्टि बाधित बताया और इस सम्बन्ध में दिनांक 3.1.2022 को एक मेडिकल सर्टीफिकेट जारी किया जिसके अनुसार वे टाइप करने में असमर्थ है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि 90% दृष्टि बाधित विकलांग महिला के साथ त्वरित न्याय करते हुये कुमारी साईमा को टाइप टेस्ट से छूट प्रदान करते हुये प्रवर लिपिक के पद पर पदस्थापना करने हेतु झांसी मण्डल को उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलग्न : AIIMS द्वारा जारी मेडिकल सर्टीफिकेट दिनांक 3.1.2022

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री